न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– श्री राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 68/2016

उनवान

पोखर पुत्र चन्द्र जाति जाट निवासी ग्राम देराठू, नसीराबाद
–– वादी :– जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
–– प्रतिवादी :– जरियें राज0 पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188, 92अ राजसथान काश्तकारी अधिनियम 1955 व 131 एवं 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

–: आदेश :– दिनांक :– 21.8.20

वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बारापत्थर के वंर्किग खसरा नम्बर 662/1013 रकबा 0.25 हाल खसरा नम्बर 791/1261 वादी की पुश्तैनी खातेदारी की है। उक्त आराजी को हाल राजस्व मानचित्र में गलत दर्शा दिया है जबकि पूर्व मानचित्र में उक्त खसरा नम्बर सही अंकित था। अतः हाल राजस्व मानचित्र में आराजी मुतनाजा को पूर्व की भांति सही रूप में अंकित किया जावें।

राज0 पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि वंर्किग खसरा नम्बर 662/1013 रकबा 1–10–10 के हाल खसरा नम्बर 791/1261 रकबा 0.25 बने है। हाल खसरा नम्बर की आकृति त्रुटिपूर्ण है। जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायोचित होगा।

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :–

1. आया वादी वादग्रस्त आराजी के त्रुटिपूर्ण नक्शा ट्रेस दुरूस्ती का अधिकारी है ?
–– वादी
2. आया वादी स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्ति का अधिकारी है ?
–– प्रतिवादी

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये तथा साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया। राज0 पैरोकार ने साक्ष्य नही पेश कर जाहिर किया कि वादी अपना वाद स्वयं सिद्व करे।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन व अनुशीलन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया। तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :–

तनकी संख्या 1 व 2 :–

वादग्रस्त आराजी वादी व अन्य सहखातेदारों की खातेदारी की है। जिसका रकबा जमाबंदी में सही अंकित है। एवं मौके पर प्रार्थी जमाबंदी में अंकित रकबे पर ही काबिज है। हाल व वंर्किग मानचित्र की तुलना करने पर आराजी मुतनाजा का हाल अंकन त्रुटिपूर्ण है। राज0 पैरोकार ने अपने जवाब में स्वीकार किया है कि वंर्किग खसरा नम्बर 662/1013 रकबा 1–10–10 के हाल खसरा नम्बर 791/1261 रकबा 0.25 बने है। हाल खसरा नम्बर की आकृति त्रुटिपूर्ण है। जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायोचित होगा। उक्त जवाब अनुसार वर्तमान मानचित्र त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है। **भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 के अन्तर्गत भू प्रबन्ध कार्यवाही समाप्त होने के बाद राजस्व मानचित्र को आंदिनाक व सही रखने एवं पायी गयी त्रुटि दुरूस्त करने का कर्त्तव्य भू अभिलेख अधिकारी का है।** प्रस्तुत प्रकरण में हाल राजस्व मानचित्र दुरूस्त होने से प्रतिवादी के हितो पर कोई विपरित प्रभाव नही पडेगा। वादी आराजी मुतनाजा का खातेदार है किन्तु उसके द्वारा यह सिद्व नही किया गया है कि प्रतिवादी द्वारा किस प्रकार उसकी आराजी पर दखलदांजी की जा रही है। अतः वादी स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्ति का अधिकारी नहीं है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2020.09.28 16:24:29 IST
Reason: SelfAttested

अतः ग्राम बारापत्थर के हाल खसरा नम्बर 791/1261 रकबा 0.25 पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी के हाल व वर्किंग राजस्व मानचित्र की तुलना कर पायी गयी त्रुटि को दुरूस्त कर राजस्व मानचित्र में तरमीम की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2020.09.28 16:24:29 IST
Reason: SelfAttested